पत्र संख्या–1/विविध 24–08/2013 (1250)/लो०से०आ०

बिहार लोक सेवा आयोग

पटना, दिनांक 0 18 /2015

प्रेषक,

सचिव,
बिहार लोक सेवा आयोग,
पटना।

सेवा में,

सरकार के प्रधान सचिव–सह–
सदस्य सचिव, उच्चस्तरीय समिति,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

सामान्य प्रशासन विभाग
प्राप्ति
9576(i)
0 5 AUG 2015
सं०........................

OSD(HLC)

विषय :– **आयोग कार्यालय में बिना विहित प्रक्रिया के तदर्थ रूप से नियुक्त वर्ग– III एवं IV के कतिपय कर्मियों की सेवा विनियमितिकरण के बिन्दु पर मार्ग–दर्शन के संबंध में।**

प्रसंग :– **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार का पत्रांक– 10173, दिनांक 14.07.2015**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि आयोग कार्यालय में बिना विहित प्रक्रिया के तदर्थ रूप से नियुक्त वर्ग– III एवं IV के क्रमशः 6 एवं 5 कुल– 11 कर्मियों की सेवा विनियमितिकरण के बिन्दु पर मार्ग–दर्शन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निदेशित किया गया है कि तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मियों के विनियमितिकरण के विषय पर प्रस्ताव श्री ए०के० चौधरी, भा०प्र०से० (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति को भेजा जाय (छायाप्रति संलग्न)। तदालोक में उक्त कर्मियों के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा की गयी पृच्छा के आलोक में स्थिति/सूचना निम्नवत् है :–

क्रम सं०	संबंधित कर्मियों के सम्बन्ध में निर्धारित बिन्दु	वस्तु स्थिति
i	स्वीकृत पद के विरूद्ध रिक्ति थी अथवा नहीं।	उक्त कर्मियों की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध की गयी थी।
ii	आरक्षण रोस्टर सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित था अथवा नहीं।	आरक्षण रोस्टर सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नहीं था।
iii	उक्त पद की अर्हता रखने वाले इच्छुक सभी व्यक्तियों को अवसर प्रदान करने के लिए विज्ञप्ति निकाली गयी थी अथवा नहीं।	उक्त पद की अर्हता रखने वाले इच्छुक सभी व्यक्तियों को अवसर प्रदान करने के लिए विज्ञप्ति नहीं निकाली गयी थी।
iv	चयन प्रक्रिया पारदर्शी एवं नियम संगत थी अथवा नहीं।	बिना विहित प्रक्रिया के तदर्थ रूप से नियुक्ति की गयी थी।
v	नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।	नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी थी।
vi	नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या थी एवं उसका पालन किया गया था अथवा नहीं।	आयोग के अनुसचिवीय पदाधिकारी और निचले कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्त्तें) विनियम, 1960 की कंडिका– 31(1) एवं (2) में निहित प्रावधान के आलोक में की जानी है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त नियमावली की कंडिका– 31(2)में प्रावधानित है कि "आयोग के अनुसचिवीय पदाधिकारी और निचले कर्मचारीवृन्द के वेतनमान, भर्ती और प्रोन्नति के नियम तथा सेवा सेवा की अन्य शर्त्तें वही होगी, जो बिहार सचिवालय में अनुसारी पदों के लिए विहित है"। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उक्त कर्मियों की नियुक्ति में निर्धारित विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सभी 11 तदर्थ कर्मी सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त होने की तिथि से अब तक एक नियमित कर्मी को मिलने वाली सभी सुविधाओं (वेतनवृद्धि एवं प्रोन्नति को छोड़कर) का उपभोग करते हुए कार्यरत हैं।

अनुरोध है कि आयोग कार्यालय में बिना विहित प्रक्रिया के तदर्थ रूप से नियुक्त वर्ग– III एवं IV के क्रमशः 6 एवं 5 कुल– 11 कर्मियों की सेवा विनियमितिकरण सम्बन्धी मामले को श्री ए॰के॰ चौधरी, भा॰प्र॰से॰ (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखने की कृपा की जाय। साथ ही उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में लिये गये निर्णय से आयोग कार्यालय को भी संसूचित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सचिव,

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

**ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।